सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1932 शकाब्द

संख्या 136

राँची, वृहस्पतिवार 17 फरवरी, 2011

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

10 फरवरी, 2011

संख्या 303–विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा–180 उपधारा (1) एवं (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

नियमावली

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :**

(क) यह नियमावली झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (लाईसेन्स शुल्क) नियमावली, 2010 कहलायेगी।

(ख) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाषन की तिथि से प्रभावी होगा।

(ग) यह नियमावली पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगी।

2. **वितरण लाईसेन्स शुल्क :**

(क) लाईसेन्स प्रदत्त करने के लिए आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क दो लाख रूपये मात्र।

(ख) लाईसेन्स प्रदान करने के लिए एक वर्ष में प्रस्तावित संचारित ऊर्जा (लाईसेन्सी के वितरण प्रणाली में प्रवाहित) पर 100 कि०वा०घं० पाँच पैसे की दर से न्यूनतम पन्द्रह लाख एवं अधिकतम दो करोड़ रूपये।

(ग) वार्षिक शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के अन्दर वर्ष में वितरित ऊर्जा पर (उपभोक्ताओं को वितरण के लिए लाईसेन्सी के वितरण प्रणाली में प्रवाहित) एक पैसे प्रति 100 कि०वा०घं० की दर से न्यूनतम पाँच लाख एवं अधिकतम 1 करोड़ रूपये होगा। वार्षिक शुल्क का भुगतान प्राक्कलन के आधार पर जमा किया जायेगा जिसका वर्ष के अन्त के बाद समायोजन होगा।

3. <u>संचरण लाईसेन्स शुल्क</u> :

(क) लाईसेन्स प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क दो लाख रूपये मात्र ।

(ख) लाईसेन्स प्रदान करने के लिए प्रस्तावित संचरण क्षमता के सृजन पर प्रति मेगावाट ₹ 5,000/– रूपये (पाँच हजार रूपये) मात्र की दर से न्यूनतम दस लाख एवं अधिकतम एक करोड़ पच्चीस लाख रूपये।

(ग) वार्षिक शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के अन्दर वर्ष में लागू संचरण क्षमता के अनुबन्ध के लिए प्रति मेगावाट ₹ 1,000/– रूपये (एक हजार रूपये) मात्र की दर से न्यूनतम पाँच लाख एवं अधिकतम एक करोड़ रूपये। वार्षिक शुल्क का भुगतान प्राक्कलन के आधार पर जमा किया जायेगा जिसका वर्ष के अन्त के बाद समायोजन होगा।

4. **व्यापार लाईसेन्स शुल्क** :–

(क) लाईसेन्स प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क दो लाख रूपये मात्र।

(ख) लाईसेन्स प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रस्तावित वार्षिक व्यापार पर पाँच पैसे प्रति 100 कि०वा०घं० की दर से न्यूनतम पाँच लाख एवं अधिकतम पचहत्तर लाख रूपये।

(ग) वार्षिक शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के अन्दर वर्ष में व्यापारित ऊर्जा पर एक पैसे प्रति 100 कि०वा०घं० की दर से न्यूनतम पाँच लाख एवं अधिकतम एक करोड़ रूपये। वार्षिक शुल्क का भुगतान प्राक्कलन के आधार पर जमा किया जायेगा जिसका वर्ष के अन्त के बाद समायोजन होगा।

5. <u>भुगतान कार्यालय</u> :–

शुल्क का भुगतान झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नाम से रेखांकित डिमान्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के द्वारा भुगतेय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एन०एन० पाण्डेय,

सरकार के प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

झारखण्ड गजट (असाधारण) 136–150 ।